राजस्थान–सरकार

कार्यालय तहसीलदार जहाजपुर जिला – शाहपुरा

क्रमांक / राजस्व / डिक्री पालना / 2024 / 715 दिनांक–23 / 05 / 2024

प्रेषिति,

Reader (Court) 23/05/24

श्रीमान् न्यायालय उपखण्ड अधिकारी महोदय
जहाजपुर

विषयः– न्यायालय प्रकरण संख्या–398 / 2012 वादी संतोकदास पिता प्रेमदास बैरागी बनाम जीवण सिंह पिता शंकर सिंह राजपूत निवासी–जामोली की पालना के क्रम में।

महोदय जी,

निवेदन है कि न्यायालय श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महोदय, जहाजपुर के प्रकरण सख्या–398 / 2012 वादी संतोकदास पिता प्रेमदास बैरागी बनाम जीवण सिंह पिता शंकर सिंह राजपूत निवासी–जामोली में न्यायालय आदेशानुसार वादी को कब्जा संभला दिया गया है। वादी की मृत्यु हो जाने वर्तमान में भूमि वादी के वारिसान के आधिपत्य में है। जिसका मौका पर्चा एवं रिर्पोट संलग्न है।

अतः प्रकरण में पालना रिर्पोट श्रीमान को प्रेषित है।

संलग्नः– उक्तानुसार।

तहसीलदार जहाजपुर
जिला–शाहपुरा

15/5/24

राजस्थान–सरकार

कार्यालय उपतहसीलदार पण्डेर जिला शाहपुरा(राज0)

क्रमांक / राजस्व / 2024 / 658 दिनांक :–15.05.2024

सेवामें,

श्रीमान तहसीलदार साहब,
जहाजपुर जिला शाहपुरा।

विषयः–व्हाट्सप पर प्राप्त न्यायालय डिक्री की पालना बाबत्।

महोदय जी,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि दिनांक 08.05.2024 को जरिये व्हाट्सप न्यायालय डिक्री की पालना का आदेश प्राप्त हुआ। मुताबिक रिपोर्ट पटवारी वादी संतोकदास पिता प्रेमदास बैरागी की मृत्यु हो चुकी है व वादी संतोकदास के पुत्र भंवर लाल बैरागी ने बताया कि उक्त डिक्री की पालना में उन्हें कब्जा दो वर्ष पूर्व ही सुपुर्द कर दिया गया है जिसका मौका पर्चा मय पालना रिपोर्ट सलंग्न है।

अतः पालना रिपोर्ट श्रीमान की सेवा में सादर प्रेषित है।

उप तहसीलदार पण्डेर
तहसील जहाजपुर(शाहपुरा)

संलग्नः– मूल दस्तावेज मय मौका पर्चा

सेवा में,

श्रीमान तहसीलदार साहब
जहाजपुर (शाहपुरा)

विषय:- व्हाट्सप पर प्राप्त न्यायालय डिक्री की पालना बाबत

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है दिनांक 08/05/2024 को जरिये व्हाट्सप ~~आदेश~~ न्यायालय डिक्री की पालना का आदेश, प्राप्त हुआ। आदेश की पालना में जब ग्राम जामोली मौके पर पहुंचा तो ज्ञात हुआ कि वादी संतोकदास पिता प्रेमदास बैरागी की मृत्यु हो चुकी है। मौके पर वादी संतोकदास द्वारा के पुत्र भंवरलाल बैरागी ने बताया कि उक्त डिक्री की पालना में उन्हें कब्जा दो वर्ष पूर्व ही सुपुर्द कर दिया गया है जिसका मौका पर्चा मय पालना रिपोर्ट संलग्न है।

अतः रिपोर्ट श्रीमान की सेवा में पालनार्थ पेश है।

Brijesh
09/05/2024
प. जामोली